VII मूल्यांकन और संभावनाएं

वर्ष 2002-03 का मूल्यांकन

7.1 अनेक प्रतिकूल घटनाओं के समानान्तर प्रभाव के बावजूद, वर्ष 2002-03 में, भारतीय अर्थव्यवस्था का कार्य-निष्पादन काफी हद तक ठीक-ठाक रहा है। इस वर्ष के प्रारंभिक महीनों में सीमा पर तनाव बना रहा और उसके बाद भयंकर सूखा पड़ गया जो पिछले पन्द्रह वर्षों में सबसे भयंकर सूखा था। अनाज के उत्पादन में 29 मिलियन टन की अनुमानित गिरावट आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। इसके अलावा, इराक में छिड़े युद्ध की अवधि के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में सामान्य अनिश्चितता और मंद वृद्धि का माहौल पैदा हो गया। इस अवधि के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें भी काफी बढ़ गईं।

7.2 यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002-03 में अनुभव किए गए आघातों में से यदि कोई भी एक आघात विगत वर्षों में अनुभव किया जाता था तो उससे विकास दर को काफी नुकसान पहुंचता था, उच्चतर महंगाई, भुगतान संतुलन संबंधी कठिनाइयां और यहां तक कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय अस्थिरता पैदा हो जाती थी। यदि हम इस संदर्भ में देखें तो, वर्ष 2002-03 के दौरान अर्थव्यवस्था के कार्य-निष्पादन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्तरोत्तर ऊर्जस्विता का परिचय दिया है। इससे यह ज्ञात होता है कि 1990 के दशक के उत्तरार्ध में मंद वृद्धि की अड़चन के बावजूद, अर्थव्यवस्था में निरंतर संरचनागत सुधार करते रहने से उसे तुलनात्मक रूप से आघात-रहित बनाये रखने और एक स्थिर समष्टिगत आर्थिक परिवेश बनाने में मदद मिली है।

7.3 वर्ष 2002-03 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर यद्यपि अपेक्षा से काफी कम रही, फिर भी वह विश्व में सबसे ऊंची वृद्धि दर रही। उचित समय पर और समन्वित आपूर्ति प्रबंधन संबंधी रणनीतियां तीव्र स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने में प्रभावी रहीं, जिससे शीर्ष मुद्रास्फीति की दर वर्ष के अधिकांश भाग में नरम बनी रही। खाद्यान्न भण्डार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भण्डार के संचयन की रणनीति ने आघातों के प्रभाव को सहन करने की क्षमता देकर और अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास पैदा करके अर्थव्यवस्था की काफी सहायता की है। वर्ष 2002-03 में अर्थव्यवस्था के कार्य-निष्पादन की एक अत्यंत प्रसन्नतादायक विशेषता यह रही कि इस दौरान औद्योगिक कार्यकलापों में वृद्धि हुई जो मुख्यतः निर्यात मांग में आयी सुदृढ़ता से प्रेरित रही है जो भारतीय उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है।

7.4 भारत के भुगतान संतुलन की सुखद स्थिति वाणिज्य माल के निर्यात में आयी 19.2 प्रतिशत की उच्च वृद्धि और अदृश्य मदों में भी आये उछाल से देखी जा सकती है। इसके फलस्वरूप, लगातार दूसरे वर्ष भी चालू खाते में अधिशेष की स्थिति बनी रही। पूंजी के निरंतर आगम की स्थिति से भी अर्थव्यवस्था के मूल आधारों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता प्रकट होती है, जिसके कारण चालू खाते में अधिशेष की स्थिति पैदा हुई और साथ ही वर्ष 2002-03 में विदेशी मुद्रा भण्डार की बढ़ती हुई शक्ति की मान्यता से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (अंमुको) ने अपनी वित्तीय लेनदेन योजना (एफटीपी) के अंतर्गत भारत को ऋणदाता (क्रेडिटर) राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। भुगतान संतुलन की बढ़ती हुई सुखद स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2002-03 के दौरान बाह्य चालू खाते और पूंजी खाते में लेनदेनों को उदार बनाने की दिशा में और प्रगति हुई, जिसके अंतर्गत बैंकों, कंपनियों और निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशों से किये गये निवेश और धनप्रेषण भी शामिल हैं।

7.5 मौद्रिक नीति घरेलू मुद्रा, ऋण और विदेशी मुद्रा बाजारों में स्थिरता और अनुशासन बनाए रखने में कारगर रही। भारी पूंजी प्रवाहों के मुद्रास्फीतिगत प्रभाव को, बाह्य अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों का क्रमबद्ध रूप से उदारीकरण करते हुए खुले बाजार बिक्री और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के परिचालनों पर उचित समय पर कार्रवाई करते हुए नियंत्रित किया गया। एक ऐसी नरम ब्याज दर की स्थिति जो निवेशगत मांग को बढ़ाने में सहायता करे, को बनाये रखने पर मौद्रिक नीति में दिये गये बल के परिणामस्वरूप समूचे बाजार के सभी खण्डों में ब्याज दरें घट गईं। चलनिधि स्थिति के सक्रिय प्रबंधन से केंद्र और राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने में सहायता मिली। बाह्य ऋणों की समयपूर्व चुकौती, केंद्र और राज्यों के बीच ऋण की अदला-बदली (स्वैप) और राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट योजना में व्यापक संरचनागत सुधार करके लोक ऋण प्रबंधन को सुदृढ़ बनाया गया।

7.6 वर्ष 2002-03 के दौरान वित्तीय क्षेत्र में किए गए सुधारों को सघन बनाने के अंतर्गत वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्रधान बना रहा। विवेकपूर्ण मानदण्डों को ऐसी रणनीति अपनाते हुए सुदृढ़ किया गया है जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के काफी अनुरूप बनाती है। बैंक के तुलनपत्र को साफ-सुथरा और सुदृढ़ बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण पहलें की गयीं। गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रबंधन को, कंपनी ऋण पुनर्गठन

(सीडीआर) प्रणाली लागू करके और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएइएसआइ) अधिनियम, 2002 लागू करके सशक्त बनाया गया है, जो ऋणदाताओं के अधिकारों के प्रवर्तन को सांविधिक समर्थन प्रदान करता है और, अन्य बातों के साथ-साथ यह आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जल्दी चेतावनी देने के साधन के रूप में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई को लागू कराने से पर्यवेक्षीय कार्य में काफी सुधार हुआ है। आदेश चालित पद्धति द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के फुटकर व्यापार हेतु बुनियादी सुविधाएं विकसित करके, स्टॉक एक्सचेंजों में स्क्रीन आधारित लेनदेन प्रारंभ करके और एक्सचेंजों में लेनदेन की जानेवाली ब्याज दर व्युत्पन्नी लिखतों (डेरिवेटिव्स) की शुरुआत करके वित्तीय बाजारों के विकास को आगे बढ़ाया गया। विकास की इन गतिविधियों से बाजार सहभागी बाजार के जोखिमों का बेहतर तौर पर प्रबंधन कर सकेंगे। वित्तीय क्षेत्र में किए गए सुधारों का प्रभाव बैंकों की लाभप्रदता और वित्तीय क्षेत्र की समग्र क्षमता में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है।

7.7 औद्योगिक क्षेत्र में हुई यह वृद्धि विविध उद्योगों में और विशेष रूप से विनिर्माण के क्षेत्र में देखी गयी है। औद्योगिक निर्यात में हुई वृद्धि ने उद्योग समूहों के बहुत बड़े भाग पर हितकारी प्रभाव डाला है। विशेष रूप से आटोमोबाइल एवं कल पुर्जों, रसायन, मूल धातुओं, खाद्य उत्पादों, पेय पदार्थों और तंबाकू का निर्यात काफी मात्रा में बढ़ा है। जहां तक मांग की संरचना का संबंध है, वर्ष 2002-03 में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग के कारण हुई है। फुटकर क्षेत्रों में मांग के जोर पकड़ने से निर्माण कार्यों में भी वृद्धि हुई है जो आवास एवं सीमेंट उद्योग में बैंक ऋण की मांग अत्यधिक बढ़ जाने के रूप में प्रतिबिंबित हुई है। योजनागत लक्ष्यों से थोड़ा सा ही पीछे रहने के बावजूद, बुनियादी सुविधाओं वाले उद्योगों की उत्पादन स्थिति में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की स्थिति एक महत्त्वपूर्ण घटना रही है जिससे निवेश के दृष्टिकोण में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कंपनी क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन प्रत्येक तिमाही में सतत रूप से बढ़ा है। बिक्रियों में एक स्वस्थ विस्तार और ब्याज लागत में कमी से, मुख्य रूप से, वर्ष की दूसरी छमाही में करोत्तर लाभ में तेज वृद्धि देखी गयी।

7.8 बुनियादी सुविधा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सक्रिय और निरंतर प्रयास किए गए हैं । यह सुनिश्चित करते हुए कि बुनियादी सुविधा की सेवाएं वस्तुतः अपेक्षित ढंग से दी जाएं, सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी परंपरागत भूमिका से अलग हटते हुए सरकार एक "मददगार" के रूप में भूमिका अदा करने की ओर धीरे-धीरे बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के कार्यान्वयन में सरकार ने तेजी से प्रगति की है। बंदरगाह की सेवाओं और लंगरगाह के निजीकरण से उनकी क्षमताएं कुछ हद तक बढ़ी हैं। संभवतः दूरसंचार क्षेत्र में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। अपविनियमन, प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र में टैरिफ में तीव्र गिरावट आयी है। इसके परिणामस्वरूप, टेलीफोन लाइनों, विशेष रूप से मोबाइल सेवाओं की वृद्धि में जबरदस्त तेजी आई है।

7.9 यद्यपि, राजकोषीय नीति के एक के बाद दूसरे सूखे की स्थिति से गुजरने और आर्थिक कार्यकलापों में मंदी के कारण राजकोषीय समेकन में थोड़ी-सी शिथिलता आयी है, तथापि, निगरानी में सुधार कार्यक्रमों, ऋण समेकन और कर-सदेउ अनुपात में पुनः तेजी लाने हेतु तैयार किए गए उपायों के माध्यम से राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रति नये सिरे से प्रतिबद्धता बढ़ी है। संसद में संशोधित राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) विधेयक की स्वीकृति मिल जाने से राजकोषीय स्थिति के संबंध में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा पूंजी एवं राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु केंद्र की उधारियों को चरणबद्ध रूप से कम करने के लिए संस्थागत संरचना कार्यान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। कुछ राज्यों ने राजकोषीय जवाबदेही कानून भी बना लिए हैं।

7.10 विश्व अर्थव्यवस्था का परिदृश्य पिछले वर्ष की तुलना में और अधिक अनिश्चिततापूर्ण हो गया है। सकारात्मक गतिविधियों जैसे - इराक में युद्ध की स्थिति का अंत, सीवियर एक्यूट रेसपिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) महामारी की समाप्ति और प्रमुख इक्विटी बाजारों में लगातार बिक्री करते जाने की स्थिति के पलटने के बावजूद प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के संकेत अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। जून 2003 में फेडरल रिज़र्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक (इसीबी) द्वारा ब्याज दर में कटौती से अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख दरें सभी समय निम्न बनी रहीं, जिससे अपस्फीतिकारी प्रवृत्ति के पैदा होने की संभावना के प्रति चिंताएं बढ़ गई हैं। एशिया की उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के विकास में रुक-रुककर होनेवाली वृद्धि, कम होते बाण्ड-स्प्रेड सहित पूंजी प्रवाहों में गति पैदा होने और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में पहुंच की संतुलित रूप से वापसी के साथ हुई है। यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि उच्चतर पूंजी प्रवाह उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के सुदृढ़ मूलभूत सिद्धांतों की अपेक्षा विकासशील देशों में कम प्रतिलाभ की संभावना प्रकट करता है। बहुराष्ट्रीय मुद्राओं के अत्यधिक परस्पर आदान-प्रदान के बावजूद, विश्वव्यापी असंतुलन के सतत बने रहने, विशेष रूप से अमरीका में चालू खाते में उच्च घाटे की स्थिति से एक व्यतिक्रम निरंतर बना रहा है, जो सुधार की संभावनाओं के प्रति जोखिम के गहराने को अपरिहार्य बनाता है।

2003-04 के लिए संभावना

7.11 वर्ष 2003-04 की शुरुआत सुदृढ़ और सकारात्मक स्थिति से हुई है। खरीफ फसलों की बुवाई का महीना - जुलाई 2003 में दीर्घावधि औसत की तुलना में अधिक बारिश वाला रहने और संशोधित पूर्वानुमान में सामान्य मानसून होने की भविष्यवाणी ने कृषि की संभावनाओं को काफी बढ़ा दिया है। अभीतक दक्षिण-पश्चिम मानसून से संतोषजनक रूप से सर्वत्र वर्षा होने, बारिश के देर से आने के कारण बुवाई में हुए विलंब की भरपाई हो जाने की उम्मीद है। विविध फसलों की उपज के अनुमानित स्तर के ठीक-ठीक आकलन के लिए मानसून की तीव्रता और व्यापक प्रसार से संबंधित और सूचना की अपेक्षा है। इसके बावजूद,पर्याप्त खाद्य भंडार और जलाशय के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि किन्हीं अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति पर्याप्त संरक्षण प्रदान करती है।

7.12 औद्योगिक वृद्धि की गति बरकरार रखी गयी है तथा पहली तिमाही में काफी वृद्धि हुई है। उभरते हुए औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति को प्रोत्साहित करनेवाली विशेषता यह रही कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में लगातार बारह महीने की गिरावट के बाद सुधार आया है। आशा है कि औद्योगिक क्षेत्र की संभावनाएं कृषि संबंधी कार्यकलापों के नए सिरे से शुरू होने, निर्यात मांग के बने रहने तथा नए निवेश के परिवेश में सुधार से सुदृढ़ होंगी जिसके संकेत पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और तेल से इतर आयातों में वृद्धि, कम ब्याज दरें एवं चारों तरफ कंपनी लाभप्रदता में बढ़ोतरी से मिलते हैं। क्षमता उपयोग में वृद्धि की प्रत्याशाओं, रोजगार और मालसूची के स्तर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने तथा निर्यात के उच्चतर आदेशों से कारोबार में विश्वास का स्तर सकारात्मक बना रहा।

7.13 प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के बावजूद, भारत अपने बाह्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाता रहा है जिसमें अप्रैल-जून 2003 में व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि वर्ष के लिए निर्धारित वृद्धिगत लक्ष्यों के अनुरूप बनी रही है। राजकोषीय वर्ष की पहली तिमाही में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अनिवासी रुपया जमाराशि और संविभागीय निवेश में काफी वृद्धि के साथ पूंजी प्रवाह (आगम) में बढ़ोतरी जारी रही। इन गतिविधियों को दर्शाते हुए विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि जारी रही तथा उनका स्तर 15 अगस्त, 2003 को 85.4 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया जो मार्च के अंत के स्तर से 10.0 बिलियन अमरीकी डालर अधिक था तथा यह वृद्धि 2002-03 के 21.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर के ऊपर हुई है।

7.14 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में पर्याप्त वृद्धि ने अभी तक चलनिधि की स्थिति को सहज बना दिया है। दूसरी ओर केंद्र को निवल रिज़र्व बैंक ऋण में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रिपो तथा खुला बाजार बिक्री के कारण तेजी से कमी आयी। जमाराशि में कम होती वृद्धि तथा मुद्रा मांग में मंदी के कारण व्यापक मुद्रा का प्रसार भी निम्नतर रहा। निम्नतर खरीद परिचालनों के कारण खाद्य ऋणों का उठाव कम हुआ। मोटे तौर पर खाद्येतर ऋण प्रसार को बनाए रखा गया है।

7.15 वित्तीय बाजारों ने स्थिरता और पर्याप्त चलनिधि की स्थिति दर्शायी है। मई 2003 से मांग दरें उप-रिपो स्तर तक कम हो गयीं। 2003-04 के लिए केंद्र के उधार कार्यक्रम की शुरुआत किये जाने के बावजूद आय में और कमी की प्रत्याशा से श्रेष्ठ प्रतिभूति (गिल्ट) बाजार निश्चित दायरे में बंधा रहा है। विदेशी मुद्रा बाजार में सुदृढ़ आपूर्तियों के मद्देनजर अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये में वृद्धि हुई। वायदा प्रीमियम अप्रैल 2003 में 1-3 प्रतिशत के बीच रहा। उसके बाद उसमें थोड़ा-सा सुधार आया। चालू वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और बैंक स्क्रिप की खरीद में पर्याप्त रुचि के कारण पूंजी बाजार के कार्यकलाप में वृद्धि देखी गयी।

7.16 2003-04 की मौद्रिक नीति में व्यवस्था में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने के दृष्टिकोण को जारी रखा गया ताकि मूल्य स्तर की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए ऋण वृद्धि की मांग को पूरा किया जा सके तथा अर्थव्यवस्था में निवेशगत मांग को पूरा किया जा सके। तदनुसार, व्यापक आर्थिक स्थिरता के अंतर्गत कम और लचीली ब्याज दर को वरीयता दी जाती रही। अतः मौद्रिक नीति का यह प्रयास होगा कि वित्तीय बाजारों का विकास हो और उनका कार्यकलाप सुचारु रूप से चले, वित्तीय क्षेत्र की आबंटन दक्षता को बढ़ावा मिले, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा जाए तथा मौद्रिक नीति की संचरण व्यवस्था में सुधार लाया जाए।

7.17 जून के अंतिम पखवाड़े के दौरान सब्जियों, प्रसंस्कृत चाय तथा लोहा और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में आयी अस्थायी वृद्धि जुलाई 2003 के आरंभ तक कम होने लगी। जुलाई के आरम्भ में सब्जियों और फलों के मूल्य कम हो गए। अच्छे मानसून की संभावना से जून के आरंभ से ही तिलहनों के मूल्य कम हो रहे हैं। खनिज तेल और मानव-निर्मित रेशों के मूल्यों में कमी समग्र मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखे हुए है। अगस्त 2003 के प्रारम्भ तक थोक मूल्य मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे आ गयी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और यूरो क्षेत्र में कम है। फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा अपनी प्रमुख नीतिगत दरों को और 25 आधार अंकों तक कम कर दिए जाने से अपस्फीति की संभावना चिंता का एक कारण बना हुआ है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति का परिदृश्य नरम है, फिर भी, लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई वाले पदार्थ (पीओएल), खाद्य तेलों और कपास जैसी प्रमुख मदों के मूल्यों पर अत्यधिक निगरानी रखनी होगी जो मूल्यों के बढ़ने की कुछ संभावना दर्शाती हैं।

7.18 अप्रैल-जून 2003 में केंद्र का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कुछ निम्न था, तथापि 2003-04 की पिछली तिमाही के दौरान राजस्व घाटा उच्चतर रहा जो कंपनी कर, आय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्ति में पर्याप्त कमी के परिणामस्वरूप था। दूसरी तरफ आयात वृद्धि में हुई तेज बढ़ोतरी से सीमा शुल्क को लाभ मिला तथा इसने वृद्धि दर्ज की । अप्रैल-जून 2003 के दौरान कुल व्यय ने मामूली-सी वृद्धि दर्ज की। जैसा कि दसवीं योजना के दस्तावेज में उल्लिखित है, 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को बनाए रखने में प्रमुख कारक विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन है, जो उच्चतर सरकारी बचत द्वारा वित्तपोषित, आम लोगों द्वारा अधिक सार्वजनिक निवेश और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आंतरिक संसाधनों के संग्रहण पर आधारित है। राज्यों को, विशेषकर, बुनियादी सुविधा विकास में, निवेश संबंधी निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। सरकारी बचत में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। राजस्व घाटा को नियंत्रित करना होगा तथा दसवीं योजना के अंत तक इसे कम करके सदेउ के 2.4 प्रतिशत तक लाना होगा। इससे आकस्मिक देयताओं सहित सार्वजनिक क्षेत्र की ऋणग्रस्तता की निवर्हनीयता को सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी। बड़े आकार में आकस्मिक देयताओं के होने का सरकारी वित्त की निर्वहनीयता पर प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकारों के मामले में, आकस्मिक देयताएं अनिवार्य रूप से बाजार से उधार लेने के लिए विशेष प्रयोजन के साधन (स्पैशल पर्पज ह्वीकल) के गठन की परंपरा को दर्शाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अल्प प्रयोक्ता प्रभार और अकुशल परिचालनों को देखते हुए ये आकस्मिक देयताएं राजकोषीय व्यवस्था की स्थिरता और निवर्हनीयता के लिए संभावित खतरे हैं। राज्य अब अनिर्वहनीय आकस्मिक देयताओं का समर्थन करने के प्रति प्रतिबद्धता में निहित जोखिम के प्रति संवेदनशील हो गए हैं तथा इन्हें सीमित करने के प्रयोजन से विविध व्यवस्थाओं पर विचार किया जा रहा है।

7.19 कृषि क्षेत्र को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की गई हैं। मोटे तौर पर तीन प्रकार की संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करती हैं - अर्थात् वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक। यद्यपि एक समूह के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में कोई उछाल नहीं आया है। हाल के वर्षों में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों में, मुख्यतः मानक श्रेणी में आस्तियों के हिस्से में वृद्धि के कारण, कमी आयी है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में उनकी ऋण सुपुर्दगी व्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र वित्त के प्रवाह (आगम) के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) पर निर्भर है। भारत सरकार नाबार्ड अधिनियम, 1981 में संशोधन करने पर विचार कर रही है, ताकि यह राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा, जिन्हें नाबार्ड पहले से ही पुनर्वित्त उपलब्ध करा रहा है, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को भी सीधे ही पुनर्वित्त प्रदान कर सके। इससे व्यवस्था में अंतिम उधारकर्ता से लिए जानेवाले ब्याज की दर को कम करना संभव हो पाएगा। ग्रामीण ऋण वितरण में निरंतर सुधार की आवश्यकता है ताकि किसान संस्थागत निधि से कम लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण प्राप्त कर सकें।

7.20 व्यष्टि वित्त की योजना ने भारत में बैंकों से संबद्ध स्वयं-सहायता समूहों तथा इससे लाभान्वितों की संख्या दोनों के संदर्भ में काफी प्रगति की है। तथापि विभिन्न राज्यों में व्यष्टि वित्त की प्रगति असमान रही है। व्यष्टि वित्त प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का एक अनिवार्य अंग है तथा बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे कमजोर वर्गों को अग्रिमों के रूप में स्वयं-सहायता-समूह (एसएचजी) बैंक संबद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत अपने ऋण का वर्गीकरण करें। बैंकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वे व्यष्टि ऋण को मुख्य धारा में लाए तथा व्यष्टि ऋण उपलब्धकर्ताओं की व्याप्ति को बढ़ायें। रिज़र्व बैंक ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग उद्यमों को बैंक ऋण प्रदान करने पर जोर दे रहा है। यह कार्यक्रम कम लागतवाला होने के साथ-साथ ऋण सुपुर्दगी प्रक्रिया को साकार करने और 95 प्रतिशत से अधिक की वसूली सुनिश्चित करने से बैंकों के लिए भी लाभदायक है।

7.21 अप्रैल 2003 में जारी 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी वक्तव्य में 2003-04 के लिए वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि लगभग 6.0 प्रतिशत अनुमानित की गयी थी जो उस समय मौसम विभाग द्वारा सामान्य से कुछ कम वर्षा के पूर्वानुमान की मान्यता पर आधारित थी। वर्षा की स्थिति के अद्यतन आकलन के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष में कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि होने की संभावना है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि की निरंतरता के साथ-साथ 2003-04 के लिए अनुमानित वृद्धि पूर्ववर्ती अनुमान से काफी अधिक हो सकती है, यदि कृषि के उत्पादन में वृद्धि 2002-03 के निम्न आधार की तुलना में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि दर्शाती है। वर्तमान आकलन पर आधारित बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर 2003-04 में मुद्रास्फीति दर 5.0 से 5.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान है। संभावित सकल देशी उत्पाद वृद्धि और मुद्रा स्फीति के अनुरूप 2003-04 के लिए व्यापक मुद्रा ($एम_3$) में 14.0 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। चूँकि मुद्रा आपूर्ति का अनुमानित प्रसार बैंकिंग उद्योग में हुए

विलयनों सहित उच्चतर आधार पर है इसलिए चलनिधि की मात्रा अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। एम$_3$ में इस स्तर की वृद्धि के अनुरूप, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशि में 1,79,000 करोड़ रुपए की वृद्धि होना निश्चित है। वाणिज्यिक पत्र, पीएसयू के शेयरों/डिबेंचरों/बाण्डों तथा निजी कंपनी क्षेत्र में निवेश सहित खाद्येतर बैंक ऋण में 15.5-16.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है जो 2003-04 के दौरान औद्योगिक कार्यकलाप में वृद्धि के निर्वाह को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। चालू वर्ष के लिए अनुमानित वृद्धि दर के पुनराकलन का प्रयास अक्तूबर 2003 में मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में किया जाएगा तथा उस समय तक मानसून की प्रगति और औद्योगिक सुधार के प्रसार संबंधी विश्वसनीय सूचना उपलब्ध हो जायेगी।

7.22 समग्र आर्थिक कार्य-निष्पादन से संबद्ध वृद्धिगत अनुमानों को हासिल करना निवेशों में पर्याप्त वृद्धि पर निर्भर करेगा। व्यय संघटना में उच्चतर निवेश के पक्ष में ऐसा परिवर्तन चालू खाते घाटे को दुबारा उत्पन्न करेगा जो तत्पश्चात् निवेश प्रयोजनों के लिए पूँजी आगमों के बेहतर खपत को संभव बनाएगा।

मध्यावधि मुद्दे

वास्तविक क्षेत्र

7.23 दसवीं पंच वर्षीय योजना के अधीन परिकल्पित उच्चतर वृद्धि का लक्ष्य वर्धित निवेश के साथ-साथ दक्षता में सुधार की अपेक्षा कर रहा है। इस दिशा में, बचत एवं निवेश दरों को सुधारने तथा उच्च राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु, वृद्धिशील नीतियों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। आय के वर्तमान स्तरों को देखते हुए अपेक्षित निवेश प्रयासों के वित्तपोषण हेतु देशी बचत की दर को 27 प्रतिशत वार्षिक तक बढ़ाना असंभव होगा तथा यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाने की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। सामाजिक सुरक्षा, बीमा तथा दीर्घ-कालीन बचत संबंधी अन्य साधनों तथा बाज़ारों एवं लिखतों का विकास आदि में, बचतकर्ताओं के समय संबंधी अधिमानों तथा निवेशकों के जोखिम-प्रतिलाभ विन्यास के बीच समन्वयन लाने के उद्देश्य से सुधार कार्यक्रमों को त्वरित करना इसका एक मुख्य मुद्दा है। फिर भी, असंगठित क्षेत्रों की बचतों को औपचारिक सरणियों में आकर्षित करने हेतु संस्थागत प्रणालियों की स्थापना की जानी चाहिए।

7.24 सार्वजनिक क्षेत्र में अपबचत को रोकना तथा बढ़ते सार्वजनिक क्षेत्र के राजस्व घाटे से निजी बचतों का पूर्वक्रय करने की प्रक्रिया को समाप्त करना वृद्धि के लिए वित्त जुटाने की प्रक्रिया में निर्णायक है। जैसे ही वित्तीय समेकन की स्थिति सुधर जाती है तथा बजट से देशी संसाधनों पर भार प्रगामी रूप से कम हो जाता है, तो संसाधन अधिक मात्रा में निजी निवेश के लिए उपलब्ध होंगे। इस परिवर्तन से नई सहस्राब्दि में सार्वजनिक निवेश में हुए निरन्तर ह्रास को रोका जाएगा तथा कुल मांग के समेकन, नयी उत्पादक क्षमताओं के निर्माण और निजी निवेश हेतु समर्थनकारी परिस्थितियों के निर्माण की शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। राजस्व घाटे को कम करने से उन सार्वजनिक साधनों को उपलब्ध कराने हेतु अधिक सार्वजनिक निवेश किया जा सकेगा जो निजी निवेश की दक्षता की दर में तेजी लायेगा।

7.25 भारत में वृद्धि का अनुभव, बचत और निवेश के बीच के उच्च अन्योन्याश्रित संबंध को दर्शाता है। विश्वव्यापीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील (चल) पूंजी ने अन्य देशों में इस अन्योन्याश्रय संबंध को कमजोर करने की प्रवृत्ति दिखाई है। चूंकि विकासशील देशों ने विदेशी बचतों की वृद्धि - वित्तपोषण क्षमताओं के लाभ उठाने हेतु वित्तीय उदारीकरण का कार्य, विशेष रूप से तभी किया जब देशी संसाधनों को जुटाने के उनके प्रयासों के सामने जटिल बाधाएं आयीं। दसवीं योजना नीति की निवेशगत अपेक्षाएं 1.6 प्रतिशत वार्षिक की औसत दर पर बाह्य वित्तीयन पर निर्भर हैं। पिछले अनुभवों तथा अर्थव्यवस्था के विकसित हो रहे उदारीकरण को देखते हुए, दसवीं योजना में परिकल्पित बाह्य बचत संबंधी आंकड़े समुचित लगते हैं।

7.26 जैसा कि दसवीं योजना दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है, वृद्धि नीति का मुख्य कारक "अर्थव्यवस्था में दबी क्षमताओं को उभारने, दमित उत्पादक शक्तियों तथा उद्यमशील ऊर्जाओं को उन्मुक्त करने, सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने पर आधारित" दक्षता है। इसके लिए नीतिगत व्यवधानों, प्रक्रिया संबंधी अनम्यताओं तथा मूल्य विसंगतियों के निराकरण की प्रक्रिया को त्वरित करना होगा। इसके लिए यह भी अवश्यक होगा कि अर्थव्यवस्था के नियमित परिचालन के लिए जरूरी संस्थागत संरचना को काफी मज़बूत किया जाए।

7.27 जैसा कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में रेखांकित किया गया है, चिंता का एक मुद्दा रोजगार की वृद्धि दर है जो 1980 के दशक दौरान 2 प्रतिशत वार्षिक की थी, 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में गिरकर वह 1.1 प्रतिशत रह गयी। कार्य करने वाली जनसंख्या की वृद्धि दर समग्र जनसंख्या की वृद्धि दर से आगे निकल गयी है, अत: बेरोजगारी की दर आगे और खराब हो सकती है यदि परिकल्पित वृद्धि दर ऐसी नयी गतिविधियां नहीं बढ़ाती है जो यथोचित रूप से श्रमिक प्रधान हों।

कृषि

7.28 2002-03 के सूखे की परिस्थितियों ने कृषि उत्पाद की घटबढ़ तथा समग्र आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत परिणाम आदि से संबंधित चिन्ताओं को दोहराया है। मानसून पर खरीफ उत्पादों-मुख्य कृषि मौसम-की निर्भरता तथा जलाशयों के भण्डारणों पर रबी कृषि मौसम की अप्रत्यक्ष निर्भरता, हाल के वर्षों में अधिक सुस्पष्ट हो गयी है। इसके अलावा, उप-महाद्वीपीय परिमाण वाले देश भारत में, कुछ ऐसे क्षेत्र हमेशा रहेंगे जो सूखे का अनुभव करेंगे, भले ही राष्ट्रीय स्तर पर नमी (वर्षा) का अभाव न हो। स्थानीय सूखे का क्षेत्र-विशेष पर अत्यन्त कठिन, प्रायः आवृत्तिकारी, प्रभाव होता है। जैसे पश्चिम भारत ने 1999-2000 से 2002-03 तक तीन बार सूखे का अनुभव किया और जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय तिलहन उत्पाद में भारी ह्रास हुआ। यह जल संरक्षण के साथ-साथ जल-संरक्षण विकास तथा जल संचयन की अत्यावश्यकता को रेखांकित करता है। उर्वरता को परिरक्षित करने तथा जल संरक्षण विकास के संबंध में योजना बनाने की दृष्टि से- निर्धारित भू-प्रदेश में कृषि को सीमित रखने तथा अन्य प्रदेशों का उपयोग चरागाह विकास और वनरोपण के लिए करने की दृष्टि से- अन्तर्निहित विशेषताओं, बाह्य भूमि की विशेषताओं तथा पर्यावरण संबंधी घटकों के आधार पर भूमि की क्षमता का वर्गीकरण करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समुदाय के संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रभावी सामाजिक एवं कानूनी संस्थाएं होना जलविभाजन विकास कार्यक्रमों के लिए अर्थात जलविभाजन समुदायों को प्रशिक्षित करने, प्रोत्साहित करने, तथा उनकी सामूहिक सहभागिता को परिचालित करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

7.29 मौसमी आघातों के प्रति भारतीय कृषि की असुरक्षितता (अतिसंवेदनशीलता) फसली पद्धतियों के संकेन्द्रीकरण को दर्शाती है जो आपूर्ति प्रतिक्रिया के लचीलेपन को नियंत्रित करता है। कृषि मूल्य निर्धारण नीतियाँ असमंजस की स्थिति में हैं। खाद्य-सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले साधन के रूप में उनके हितों तथा चक्रीय प्रोत्साहन योजनाओं से फसल पद्धतियां तथा निविष्टियों के उपयोग में उत्पन्न विसंगतियों के मूल्यांकन की देश में व्यापक चर्चा हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली ने, अन्य खाद्यान्नों, तिलहनों तथा दलहनों और फल, सब्जियाँ, कुक्कट- उत्पादन आदि खाद्य वस्तुओं सहित औसत खपत (उपभोग) समूह के महत्वपूर्ण संघटकों की उपेक्षा करते हुए फसल पद्धति को गेहूँ और चावल के पक्ष में परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपनाई गई सिंचाई-प्रधान चावल-गेहूँ फसल पद्धति पर्यावरण की दृष्टि से अधिकाधिक अनिवर्हनीय मानी जा रही है। जल-मग्नता तथा उर्वरकों के अननुपातिक प्रयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है तथा भूमिगत जल के स्तर में खतरनाक रूप से गिरावट आई है। निविष्टिगत वस्तुओं के अधिकाधिक प्रयोग से खारापन बढ़ रहा है जिसका नकारात्मक परिणाम मिट्टी का दीर्घ-काल में मरूभूमिकरण हो जाता है।

7.30 जैसा कि दसवीं योजना संबंधी दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, सकल देशी उत्पाद में कृषि के गिरते अंश के बावजूद, पिछले दशक में कृषि क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 190 मिलियन पर वस्तुतः अपरिवर्तित रही। विखंडन के बढ़ते प्रभाव तथा इसके परिणामस्वरूप जोत के औसत आकार में होने वाले ह्रास तथा उत्पाद की मंद वृद्धि दर को देखते हुए, कृषि आय में आगे कोई सुधार, स्वतः कृषि उत्पादन से नहीं, बल्कि कृषि-संसाधन अथवा कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से मूल्य वर्धन से ही, संभव होगा। राजकोषीय मूल्य समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों के अधिकाधिक अनुकूलन तथा फ्यूचर व्यापार जैसे विकल्पों, जिससे बेहतर मूल्य नियतन तथा जोखिम प्रबंध किया जा सकेगा, के विकास की ओर चरणबद्ध तरीके से अग्रसर होने के लिए मांग आधारित कृषि उत्पादन को बाध्य कर देगा। मुख्य कृषि पण्यों की भौतिक आवाजाही पर लगाये गये प्रतिबंधों को दूर करना तथा देशी कृषि बाज़ारों को एकीकृत करना इसकी महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है।

7.31 सुधार के बाद की अवधि के दौरान प्रतिलाभ की निम्न वृद्धि-दर प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकता को दर्शाती है। कृषि अनुसंधान तथा विकास कार्य को, नई प्रौद्योगिकियों पर निवेश के लिए पुनः प्राथमिकता प्रदान करने हेतु त्वरित किया जाना चाहिए ताकि परंपरागत प्रौद्योगिकियों का संतुलन अथवा अनुपूरण जैव-प्रौद्योगिकी के नये उन्नयन से किया जा सके। अब कृषि अनुसंधान में सार्वजनिक निवेश महत्त्वपूर्ण हो गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने हरित क्रांति के समर्थन में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। अतः अनुसंधान प्रणालियों पर पुनः ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, ताकि उत्पादकता के नये स्तरों को प्राप्त करने हेतु कृषि के विविधीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। नई प्रौद्योगिकियों के प्रभावी प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी प्रसार संबंधी सक्षम विस्तारण प्रणाली का होना भी अपेक्षित है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अधीन "कृषि संबंधी करार" पर हस्ताक्षर किये जाने के साथ, विस्तारण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके अधीन विभिन्न किसान समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट सूचना प्रदान करने हेतु लचीला दृष्टिकोण होना आवश्यक है।

7.32 यदि भारत को दसवीं योजना में निर्धारित वृद्धि संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे कृषि के क्षेत्र में वृद्धि को उल्लेखनीय रूप से त्वरित करना होगा। जैसा कि तीव्र गति से विकसित अन्य एशियाई देशों का अनुभव रहा है, अधिकाधिक विविधीकृत कृषि से ही कृषि की उच्चतर वृद्धि संभव होगी। कृषि विविधीकरण तथा त्वरित कृषि वृद्धि के लिए आवश्यक होगा

सड़कों, भण्डारण सुविधाओं, दूरसंचार, बिजली, आदि ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं में बहुत अधिक निवेश। विविधीकृत कृषि के लिए खेत और बाजार के बीच अधिक गहन वाणिज्यिक संबद्धता भी होनी चाहिए। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का वित्तपोषण एक प्रमुख चुनौती होगी।सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी, स्थानीय प्रशासनों की सहभागिता, ईंधन उप-कर जैसे विनियुक्त प्रभार (डेडिकेटेडलेवी)लगाकर निधियां जुटाने आदि नये उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

7.33 फलों तथा सब्जियों के विश्व के दूसरे बड़े उत्पादक होने के बावजूद, खाद्य संसाधन उद्योग को दी जानेवाली अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता तथा बाजार संरचनाओं की अपर्याप्तता के कारण इन वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में कई बाधाएं उत्पन्न हो गयी हैं। प्रशुल्कों के संबंध में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की शर्तों को देखते हुए यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। निर्यातोन्मुख कृषि आधारित उद्योगों को प्रवर्तित करने हेतु समन्वित प्रयास किये जाने चाहिए क्योंकि ये उद्योग अपेक्षाकृत श्रमिक प्रधान हैं तथा खाद्य संसाधन में भारत के अपेक्षाकृत लाभ का उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में सक्षम कृषि विपणन की महत्त्वपूर्ण भूमिका को मान लिया जाना चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ने की आवश्यकता को रेखांकित करती है जहां कृषि विपणन के लिए विद्यमान व्यवस्था के अलावा बाजार-मध्यवर्ती संस्थाओं की सक्षम प्रणाली का सृजन किया गया हो। विश्व व्यापी स्तर पर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणीकरण तथा कृषि व्यापार के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाओं की पर्याप्तता की संपूर्ण समीक्षा करना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। कृषि उपज विपणन विनियमन अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों को ही कृषि उत्पादों के लिए निर्धारित क्षेत्र में बाजार की स्थापना करने के लिए पहल करने हेतु अधिकार दिये गये हैं। निजी क्षेत्र की सहभागिता और विपणन की वैकल्पिक सुविधा एवं सहायक सेवाओं के विकास के लिए आवश्यक निवेशों को बढ़ावा देने के लिए तदनुरूपी राज्य अधिनियमों के उपबंधों में संशोधन करना आवश्यक होगा।

उद्योग

7.34 बदलते परिवेश के अनुसार आगे बढ़ते रहने के लिए 1990 के दशक के उत्तरार्ध से, उद्योग के क्षेत्र में गहरी पुनर्संरचनाएं चल रही हैं । विलयनों तथा अधिग्रहणों के रूप में और गैर-महत्त्वपूर्ण परिचालनों के अधित्याग के संबंध में बहुत अधिक कार्रवाई की जा रही है। उद्योग क्षेत्र के लिए दसवीं योजना में उच्च वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो नौवीं योजना के 4.5 प्रतिशत की तुलना में दसवीं योजना (2002-07) में 10 प्रतिशत है, चूंकि यह वृद्धि, प्रवेश और निर्गम की बाधाओं को प्रगामी रूप से दूर करने, व्यापार के उदारीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के लिए अनुकूल नीतिगत व्यवस्था (नीतियां) बनाने तथा राज्य स्तर पर भी औद्योगिक उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रगामी रूप से विस्तार करने से सृजित प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में प्राप्त की जानी है, यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होगा। कंपनी असफलताओं की संभावनाओं तथा वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने/न्यूनतम करने तथा प्रबंधकीय जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कंपनी संचालन से संबंधित मुद्दों को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 1956, चार्टर्ड अकांउटेंट अधिनियम, 1949, लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 तथा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में फिलहाल संशोधन किया जा रहा है। सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के अनुरूप अपने कंपनी संचालन संबंधी संव्यवहारों का स्तर ऊपर उठाने के लिए भारतीय कंपनियां अधिकाधिक बाध्य हो रही हैं।

7.35 औद्योगिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण बढ़त प्राप्त करने की दृष्टि से अब यह आवश्यक हो गया है कि सुधारों की परिधि में भूमि संबंधी कानूनों, श्रम बाजार, दिवालियापन और कार्मिक छंटनी संबंधी क्रियाविधि जैसे कठिन क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए। इस संदर्भ में, हाल ही में कंपनी अधिनियम, 2002 में संशोधन करते हुए कंपनियों के समापन हेतु एकल फोरम के रूप में राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिबुनल की घोषणा एक असाधारण उपाय है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआइसीए) को निरस्त करके और उसके फलस्वरूप औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर) का समापन अभी भी पारित किया जाना बाकी है। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 जो एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) के स्थान पर लाया गया है, कारोबार को बढ़ाने की आवश्यकता को मान्यता देता है और विश्व बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के फायदों/प्रचुरताजन्य मितव्ययिता को प्राप्त करता है। कंपनी अधिनियम में किए गए एक अन्य संशोधन ने प्राथमिक उत्पादकों/सहकारिताओं को अन्य कंपनियों के समान औद्योगिक उत्पादों का आधुनिक और प्रोफेशनल तरीके से उत्पादन करने और उनका विपणन करने की अनुमति दे दी है। इससे यह अपेक्षा की जाती है कि सहकारिताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।

7.36 परियोजना का अपर्याप्त मूल्यांकन और सुदीर्घ अवधि तथा अत्यधिक लागत का लगना भारतीय उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में प्रमुख बाधाएं रही हैं। जहां हाल में केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं (सीएसपी) के कार्यान्वयन में थोड़ा सुधार हुआ है, वहीं विलंबित परियोजनाओं का अनुपात भी बढ़ा है। प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं को पूरा होने में विलंब से भारी लागत उठानी पड़ती है जो इस समय विलंबित परियोजनाओं की वास्तविक लागत का 59 प्रतिशत (लगभग 26,000 करोड़ रुपये) है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार लगने वाले अधिक समय पर नियंत्रण से होने वाली अत्यधिक लागत को 75 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक समय लगने का मुख्य कारण परियोजनाओं को प्रारंभ करने से पहले संभाव्यता अध्ययन का न होना, ठेका दिए जाने, उपकरण आपूर्ति और सिविल कार्यों से संबंधित समस्याओं के अलावा निधि और भूमि संबंधी समस्याएं हैं। वर्तमान में, रेलवे में सबसे अधिक संख्या में ऐसी परियोजनाएं हैं जो 5 वर्ष से भी ज्यादा समय से विलंबित हैं। विलंबित परियोजनाओं के संबंध में अत्यधिक लागत लगने में विद्युत क्षेत्र का काफी बड़ा हिस्सा (52 प्रतिशत) है। सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में फरवरी 2003 से विलंब होना शुरू हो गया है, जिससे दिसंबर 2005 तक गोल्डन चतुष्पदीय परियोजना के पूरा होने की नियत तिथि के स्थगित होने की संभावना बढ़ गई है। केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं में विलंब के जो राजकोषीय प्रभाव पड़े हैं, यह दसवीं योजना की इस रणनीति के महत्व को रेखांकित करती है, जो इस बात पर जोर देती है कि नई परियोजनाओं को शुरू करने से पहले आंशिक रूप से पूरी की गई अथवा चल रही परियोजनाओं तथा वर्तमान पूंजी आस्तियों के उन्नयन के कार्य को पूरा कर लिया जाए।

7.37 नए उद्यमियों का पोषण करना, क्षेत्रीय औद्योगिक विकास और रोजगार संवर्धन जैसे उद्देश्यों के लिए लघु उद्योग (एसएसआइ) क्षेत्र के महत्व को काफी मान्यता प्राप्त हुई है। इस संबंध में, प्राथमिक आवश्यकता यह है कि इसकी निवेश सीमा बढ़ाई जाए, अधिक से अधिक सहायक इकाइयां खोली जाएं, और लघु उद्योग को अधिक मात्रा में तुरंत ऋण मुहैया करवाया जाए। इस बात पर सतत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि लघु उद्योग क्षेत्र हेतु कतिपय उत्पादों के आरक्षण की नीति में मूलभूत परिवर्तन किए जाएं क्योंकि ऐसा न किये जाने से उसके विकास और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मात्रात्मक प्रतिबंधों के स्थान पर प्रोत्साहन संरचना लाए जाने की आवश्यकता है जो लघु उद्योग क्षेत्र को अधिक बाजारोन्मुख बनाने में सहायक होगी। हाल ही में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 75 और अतिरिक्त मदों का अनारक्षण तथा वस्त्र, हस्तनिर्मित औजार और औषधि के क्षेत्र में 51 मदों के लिए निवेश सीमा को बढ़ाया जाना सही दिशा में उठाया गया कदम है। भारत में लघु उद्योगों का भविष्य काफी हद तक आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, और गुणवत्ता एवं मूल्य की प्रतिस्पर्धात्मकता पर निर्भर है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में लघु उद्योगों को ऋण का प्रवाह कम हो गया था। बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यस्थकों के लिए यह आवश्यक है कि वे उभरते हुए लघु उद्योगों की अधिक सक्रियता के साथ सहायता करें ताकि नई उद्यमिता को फलने-फूलने का अवसर मिल सके।

7.38 श्रम बाजार की अनम्यता ने औद्योगिक पुनर्गठन के समक्ष गंभीर समस्या खड़ी कर दी है और श्रम-प्रधान उद्योगों में नए निवेशों को भी रोक दिया है, जहां भारत की अपेक्षाकृत अधिक बेहतर संभाव्यता विद्यमान है। उत्पाद बाजारों के सुधार में थोड़ी प्रगति हुई है, किंतु श्रम और भूमि संबंधी फैक्टर-बाजार संरचनात्मक रूप से काफी कठोर बना हुआ है। जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) लचीले श्रम बाजार उपलब्ध कराते हैं, वहीं इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी स्तर पर सुलझाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि रोजगार प्रधान गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले। कंपनी क्षेत्र में सफल श्रम पुनर्गठन से औचित्यपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई हैं और इस प्रकार की पहल व्यापक रूप से अनुकरणीय है।

सेवाएं

7.39 सेवा क्षेत्र हाल के वर्षों में भारत में वृद्धि की प्रक्रिया की मुख्य धारा के रूप में उभर कर आ रहा है। "वित्त पोषण, बीमा, वास्तविक सम्पदा और कारोबारी सेवा" तथा "सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवा" क्षेत्र ने 2002-03 में व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र द्वारा दर्शायी गयी गिरावट से अधिक की वृद्धि दर्ज की। सेवा क्षेत्र की वृद्धि में योगदान करने वाले प्रमुख घटकों की तलाश वित्तीय सेवाओं और आवास वित्त की गतिविधियों में आयी वृद्धि, परिवहन, संचार सेवाओं की बढ़ती हुई मांग तथा तेजी से बढ़ती निर्यात मांग, विशेषकर सॉफ्टवेयर निर्यात की मांग में की जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निविष्टि-उत्पाद का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि औद्योगिक गतिविधियों का 70 प्रतिशत (विशेषकर, मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, सीमेंट, चमड़ा, तम्बाकू, इस्पात, दवाइयां, कागज और रबड़) प्रत्यक्षतः सेवा-बहुल हैं। इस प्रकार ऐसी सम्भावना है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था की वृद्धि की उच्चतर दर प्राप्त करने में अग्रणी क्षेत्र बना रहेगा, इसकी शक्ति का सम्पर्कसूत्र विनिर्माण से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य से समर्थित बाजारों तक होगा।

राजकोषीय नीतिगत मामले

7.40 मध्यावधि में राजकोषीय समेकन की प्रगति, संसाधन जुटाने में तथा साथ ही व्यय प्रबंध में मौजूद संरचनात्मक कमियों के सुधार पर निर्भर होगी। राजकोषीय नीति की विषयवस्तु का मूल्यांकन अधिकाधिक रूप में समायोजन की गुणवत्ता से किया जा रहा है। राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निवेश व्यय को बनाये रखते या बढ़ाते हुए उपभोग व्यय में कटौती करनी होगी। इस समय राजस्व व्यय का लगभग 85 प्रतिशत केन्द्र के कुल व्यय से बनता है और केवल 15 प्रतिशत का ही निवेश किया जाता है। कुल राजस्व व्यय का लगभग एक तिहाई अंश ब्याज भुगतान का होता है, जो रक्षा और आर्थिक सहायता के बाद की मुख्य मद है। सरकारी व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा अंश होने के कारण व्यय में कमी करना अत्यंत कठिन है। शायद, आर्थिक सहायता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कटौती की काफी गुंजाइश है। तथापि, वर्ष 2002-03 के दौरान सदेउ के अनुपात के रूप में आर्थिक सहायता पर व्यय पूर्ववर्ती वर्ष के 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गया। व्यय की संरचना में होनेवाली निश्चित कठोरताओं के कारण राजकोषीय सुधार राजस्व वसूली में सुधार पर अधिकाधिक

रूप में निर्भर होगा। पिछले एक दशक से केन्द्रीय स्तर पर उभर कर आये कर-सकल देशी उत्पाद अनुपात में आयी गिरावट को पलटने की आवश्यकता है। कर-व्यवस्था में सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कर-वंचना को रोकने में और राजस्व को बढ़ाने में भी काफी सहायता मिलेगी।

7.41 व्यय की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य वित्त की स्थिति में आयी गिरावट के कारण सामाजिक और आर्थिक परिव्यय पर दबाव आया है। इससे भौतिक और सामाजिक मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने की राज्यों की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। तदनुसार, विकास व्यय क्षेत्र-वार निश्चित करने और सुधारों की प्रगति के लिए निर्धारित लक्ष्य के जरिए निगरानी रखने की आवश्यकता है। यह मध्यावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम में समाविष्ट होना चाहिए। इस कार्यक्रम से राजकोषीय समेकन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार, बिजली क्षेत्र में सुधार और राजकोषीय पारदर्शिता की पूर्ति हो रही है। जहां राज्य स्तर पर सभी स्रोतों से समग्र ऋण पर अधिक निगरानी रखी जा रही है और विनियामक संस्थाओं के बीच समन्वयन बढ़ रहा है, वहीं मध्यावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम में निगरानी रखने योग्य लक्ष्यों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

7.42 विकासात्मक गतिविधि शुरू करने की राज्यों की क्षमता में बाधा डालनेवाला अन्य महत्त्वपूर्ण घटक है - बढ़ता हुआ पेंशन भुगतान। ये भुगतान अस्सी के दशक के प्रारंभ में राजस्व प्राप्तियों के तीन प्रतिशत से कम थे, और 2001-02 में बढ़कर राजस्व प्राप्तियों के लगभग 10 प्रतिशत हो गये। राज्य सरकारों की बढ़ती पेंशन देयताएं गंभीर चिंता का विषय बन गयी हैं क्योंकि उनके लिए कोई निधीयन व्यवस्था नहीं है और उनकी पूर्ति बजट संसाधनों से करनी पड़ती है जिससे राज्य के खजाने पर अधिक भार पड़ता है। राज्य-स्तर पर पेंशन-सुधार की सुस्पष्ट आवश्यकता है।

7.43 राजकोषीय सुधार में पर्याप्त राजस्व जुटाने के महत्त्व को मानते हुए दसवीं योजना के दस्तावेज में केन्द्र के कर/सकल देशी उत्पाद अनुपात 2002-03 के 9.0 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 तक 10.3 प्रतिशत होने की परिकल्पना की गयी है। सूचना प्रौद्योगिकी से समर्थित कर-व्यवस्था में सुधार के निरंतर प्रयास और सेवा क्षेत्र को शामिल करने के लिए कर-आधार में विस्तार करने से यह आशा की जाती है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में अधिक वृद्धि होगी। अप्रत्यक्ष कर-सुधार, दरों का युक्तिकरण करने और छूट समाप्त करने पर आधारित होंगे। राज्यों की अपनी कर-राजस्व वसूली 2002-03 के सकल देशी उत्पाद के 5.8 प्रतिशत से बढ़कर दसवीं योजना के अंतिम वर्ष तक सकल देशी उत्पाद के 6.6 प्रतिशत हो जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करने वाली एकीकृत मूल्य योजित-कर-प्रणाली महत्त्वपूर्ण हो जाती है। लक्ष्य यह है कि एक ऐसे बाजार स्थान और पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली का निर्माण किया जाए जिससे कर-प्रवाह और एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जानेवाले कर जैसी बाधाओं को दूर किया जा सके। मूल्य योजित कर के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच पण्य कराधान के विभिन्न चरणों के एकीकरण की आवश्यकता है। इसमें राज्य मूल्य योजित कर के अर्थव्यवस्था और सरकारी राजस्व पर पड़नेवाले दीर्घकालिक प्रभावों सहित वर्तमान प्रणालीगत ढांचे से परिवर्तित प्रणाली अपनाने में निहित समस्याओं का निराकरण भी शामिल है। सिद्धांत और दरों के संबंध में सभी राज्यों में मतैक्य आवश्यक है ताकि मूल्य योजित कर दर ढांचे में छूट और मोचन खंड तथा कानूनों में असंगतियों को सीमित रखा जा सके।

7.44 राज्यों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे करों के विकल्प और कर-व्यवस्था एवं स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क के क्षेत्र में प्रशासन तथा मोटर वाहन कर में, विशेषत: कर के एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाने को रोकने की दृष्टि से सुधार की गुंजाइश का पता लगाएं। आंध्र प्रदेश जैसे कतिपय राज्यों में संपत्ति के मूल्य निर्धारण के शुल्क से सम्बद्ध स्टाम्प शुल्क में अंतर्निहित आधिक्य है। शहरी मूलभूत सुविधाओं और समग्र आर्थिक कार्यक्षमता के लिए शहरों की कार्यक्षमता के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे शहरी वित्त में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित करें। इसके लिए विशेषकर सम्पत्ति कर लगाकर और वसूल करके तथा अधिक दक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया के जरिए शहरी कर आधार को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

मूलभूत सुविधा

7.45 लागत वसूली की ओर ध्यान न देने से व्यय की संरचना तथा साथ ही मूलभूत सुविधा आस्तियों के स्टाक में कमी आयी है। राज्यों द्वारा प्रदान की जानेवाली सामाजिक और आर्थिक सेवाओं (अर्थात जल आपूर्ति, स्वच्छता, मल निकासी व्यवस्था, परिवहन, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाएं) पर यथोचित उपयोगकर्ता प्रभार लगाना और उन्हें वसूल करना मुख्य मुद्दा है। सार्वजनिक वस्तुओं के लिए प्रावधान कर-संसाधनों से करना चाहिए और निजी वस्तुओं एवं सेवाओं का वित्तपोषण यथोचित उपयोगकर्ता प्रभार लगाकर किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ता प्रभारों का सूचीकरण निविष्टि लागत के अनुसार करना आवश्यक है और उत्पादकता में सुधार के लिए यथोचित व्यवस्था के साथ आवधिक संशोधन की प्रक्रिया अपने आप शुरू रहनी चाहिए। उसी समय ऐसी सेवाओं के लिए उच्चतर प्रभार तब तक स्वीकार्य नहीं होंगे जब तक इन सेवाओं को प्रदान करने में अधिक कार्यक्षमता नहीं आ जाती। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक सुधार आवश्यक हैं - जैसे संप्रेषण और वितरणगत हानियों से बचने के लिए शत-प्रतिशत मीटर लगाने हेतु समझौता ज्ञापन, राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना, निर्माण, संप्रेषण

और वितरण कार्य को अलग-अलग करने की अंतिम तारीख निर्धारित करना। राजकोषीय सुधारों के संदर्भ में उपयोगकर्ता प्रभार का मामला सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।

7.46 मध्यावधि में परिकल्पित औद्योगिक विस्तार के लिए भौतिक मूलभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उनकी सघनता महत्त्वपूर्ण है। बिजली क्षेत्र में विद्युत अधिनियम, 2003 में निजी निवेश को अधिकाधिक स्वतंत्रता देने के लिए व्यापक रूप में उदारीकरण की परिकल्पना की गयी है। इस प्रक्रिया में उपभोक्ताओं को आखिरकार, प्रतिस्पर्धी बाजार में बिजली के अपने आपूर्तिकर्ता का चयन करने की स्वतंत्रता होगी। इस अधिनियम में आर्थिक सहायताओं को बंद करने और राज्य विद्युत बोर्ड की खराब वित्तीय स्थिति का समाधान ढूंढने के लिए नीति की रूपरेखा भी बनायी गयी है। दसवीं योजना में भी पन-बिजली (जिसका कुल बिजली निर्माण में वर्तमान अंश केवल 25 प्रतिशत है) और तापीय बिजली के बीच संतुलन रखने तथा साथ ही परमाणु बिजली के निर्माण पर बल देने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

7.47 मूलभूत सुविधाओं की वृद्धि का वित्तपोषण चिंता का मुख्य विषय रहा है। केन्द्रीय बजट में हाल में किये गये प्रस्ताव के अनुसार सरकारी-निजी साझेदारी से मूलभूत सुविधा की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर अधिकाधिक निर्भर रहकर सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि, कंपनी क्षेत्र के द्वारा निधि के लिए मांग से कारोबार चक्र की वर्तमान स्थिति में निवेश प्रवृत्ति में मन्दी का संकेत मिलता है, फिर भी जैसे-जैसे नये निवेश की प्रवृत्ति बढ़ती जायेगी वैसे-वैसे सामान्य रूप में मूलभूत सुविधा और औद्योगिक गतिविधि के लिए इन निधियों की आपूर्ति और उनका दोहन संभवतः नाजुक मामला बनता जायेगा। विदेशी अनुभव दर्शाते हैं कि कम से कम प्रारंभिक और मध्यावधि स्थिति में मूलभूत सुविधाओं के वित्तपोषण में बाह्य स्रोत प्रधान भूमिका अदा करते हैं। विशेषतः पूंजी बाजार एक ऐसी कार्यक्षम प्रणाली प्रदान करता है जो विविध जोखिम-प्रतिलाभों की रूपरेखा वाले निवेशकों की बचत में विविधता लाना संभव बनाती है।

7.48 पिछले दशक में, मुख्यतः प्राथमिक बाजार की गतिविधि में मन्दी, कम निवेशक विश्वास और सार्वजनिक निर्गमों के कड़े मानदंडों के कारण पूंजी बाजार में प्रचंड मंदी पायी गयी। आनेवाले वर्षों में इस माध्यम से निधि का प्रवाह प्राप्त करते रहने के लिए पूंजी बाजार की भूमिका को मजबूत करना आवश्यक है। इस संदर्भ में कंपनी बाण्ड बाजार की भूमिका पर अत्यधिक बल देना भी आवश्यक है। भारत में कंपनी बाण्ड बाजार में निवेशक आधार कम है, लिखतों की विविधता का अभाव है और द्वितीयक बाजार में उन्हें जरूरत पर नकदी रूप में सरलता से परिणत नहीं किया जा सकता। प्राथमिक घटक में कंपनियां बाजारों में पहुँच के संबंध में आनेवाली बाधाओं पर काबू पाने के लिए नई-नई व्यवस्थाएं करती रहती हैं। तथापि, वित्तपोषण की ऐसी बाजारेतर व्यवस्थाओं से बाजार विकास अवरुद्ध होता है, मूल्य निर्धारण में बाधा आती है तथा पारदर्शिता, प्रकटीकरण और बाजार अनुशासन में अस्पष्टता आती है।

7.49 बाजार विकास की प्रक्रिया में मध्यावधि में निवेश मांग में अपेक्षित वृद्धि की पूर्ति करने के लिए नयी बचतों का दोहन करना होगा। संविदागत बचतों से निधियों के स्वाभाविक स्रोत बनते हैं, जिन्हें मध्यावधि और दीर्घावधि निवेशों में उत्पादक रूप में नियोजित किया जा सकता है। डाक घर बचत खातों जैसे अल्प बचत के पारंपरिक लिखतों के साथ पेंशन, भविष्य निधि और बीमा कंपनियां ऐसी दीर्घावधि निधियों के स्वाभाविक धारक हैं। इस समय, विनियामक कारणों से या लाभकारी मध्यावधि और दीर्घावधि निवेशों के लिए उत्पादक अवसर न होने के कारण ऐसी संविदागत बचतें अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों में निविष्ट की जाती हैं। विनियामक परिवेश में परिवर्तन करने से बैंक और बैंकेतर संस्थाओं के बीच की सीमाओं को अस्पष्ट किये जाने के बावजूद बैंकों के संबंध में ऐसे ही पक्षपात की प्रवृत्ति देखी गयी है। इन सभी संस्थाओं द्वारा जोखिम प्रबंध में अधिक नवीनता की आवश्यकता है ताकि वे औद्योगिक और मूलभूत सुविधा के वित्तपोषण में उभरते अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकें। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं को असंगठित क्षेत्र को अवसर प्रदान करने के लिए नयी व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि उनकी बचतों को उत्पादक उद्देश्यों में नियोजित किया जा सके। इसके लिए डाक घरों और अन्य खुदरा बाजार जो अन्य वित्तीय उत्पादों के साथ सहयोगिता करते हैं ऐसे पारंपरिक बाजारों के प्रयोग सहित वितरण नेटवर्क के नवोन्मेषी विस्तार के साथ नई बचत योजनाओं के विपणन में सुधार लाना आवश्यक होगा। असंगठित क्षेत्र के लिए घोषित की गयी प्रस्तावित पेंशन योजना इस दिशा में उठाया गया उचित कदम है।

बाह्य क्षेत्र संबंधी मुद्दे

7.50 आनेवाले वर्षों में भारत की व्यापार नीतियों में निर्यात-विरोधी पूर्वग्रह में क्रमिक सुधार लाने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध और गैर-प्रशुल्क अवरोधों को पूर्णतः समाप्त करना, टैरिफ में और कटौती करना और उसको तर्क-सम्मत बनाना, व्यापार और भुगतान क्षेत्र में उदारीकरण लाना तथा निर्यात प्रोत्साहनों की प्राप्ति में सुधार लाना आवश्यक है। चालू खाता अधिशेष की प्राप्ति से यह संकेत मिलता है कि भुगतान संतुलन पर कोई उल्लेखनीय जोखिम डाले बिना और पहले की गयी कल्पना से भी अधिक तेजी से टैरिफ में कटौती की जा सकती है। आक्रामक निर्यात प्रयास के दिशा निर्देश के लिए बनायी गयी अपेक्षित निर्यात संवर्धन नीतियों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि ऐसी गैर-परंपरागत मदों को भारी संख्या में शामिल किया जाए और बाजारों की व्याप्ति बढ़ायी जाए जिनमें विश्व भर में औसत से

अधिक विस्तार हो रहा है। निर्यातकों को समय पर ऋण का वितरण होने को सुनिश्चित करने और प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने के लिए शुरू किये गये उपायों को मजबूत करना होगा। सरकार द्वारा जनवरी 2002 में घोषित मध्यावधि निर्यात नीति में दसवीं योजना अवधि (2002-07) के साथ-साथ मध्यावधि में निर्यातों में वृद्धि की मात्रा प्राप्त करने के लिए सम-सामयिक वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक योजना बनायी गयी है। इसके लिए सुस्पष्ट और मानित निर्यात संभावना के आधार पर क्षेत्र विशेष की नीतियां पुष्ट करने की आवश्यकता है। मध्यावधि की अपेक्षित निर्यात नीति के अन्य तत्व हैं - निर्यातकों के लिए कर- छूट को पारदर्शी और व्यापक बनाने के लिए व्यापक प्रणाली की शुरुआत, निर्यात संबंधी मूलभूत सुविधा का उन्नयन, विपणन करार (मुक्त व्यापार करार और अधिमान्य व्यापार करार), बैंक ऋण की अभिगम्यता में सुधार और विपणन संबंधी मूलभूत सुविधा।

7.51 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में निर्यातोन्मुखी वृद्धि का अनुभव भारत जैसे देशों के लिए मूल्यवान सबक है, जहां भुगतान संतुलन की स्थिति के लिए निर्यात कार्यनिष्पादन को अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। यह अनुभव इस बात की ओर संकेत करता हैं कि अधिक प्रौद्योगिकी की मदें निर्यात प्रयासों को गति देती हैं। विशेषतः, जापान, पूर्व एशिया और चीन द्वारा प्रौद्योगिकी निर्यात के क्रमिक परित्याग से मिले अवसरों को झपट लेना महत्वपूर्ण है। अब तक भारत की निर्यात संवर्धन नीति प्रौद्योगिकीगत लाभ के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय प्रौद्योगिकी के उन्नयन के संबंध में मोटे तौर पर तटस्थ रही है। इसके अलावा औद्योगिक नीति के कुछ तत्व जैसे स्वदेशीकरण पर बल, नवोन्मेष के बजाय अनुकूलन पर जोर से निर्यात में प्रौद्योगिकी की तेजी में बाधा आती है। इस संदर्भ में इस बात को देखते हुए कि निर्यात बाजारों में लगी दौड़ में भारत ने देरी से भाग लिया है, हमें कम प्रौद्योगिकी से उच्च प्रौद्योगिकी के साथ निर्यात में लम्बी "छलांग" लगानी है या "क्रमिकतावादी" दृष्टिकोण अपनाना है, इस बारे में निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

7.52 निर्यात संवर्धन नीति में निर्यात गतिविधि के साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के स्वाभाविक पूरक घटक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अंतिम विश्लेषण में यह मानना आवश्यक है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भारी प्राप्तियों में सबसे बड़ी बाधाएं परिभाषात्मक मुद्दों के बजाय प्रशासनिक और क्रियाविधिगत स्वरूप की हैं। निवेश की भावना को विदेशी मुद्रा की वास्तविक प्राप्तियों में परिवर्तित करने में निहित समय, प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी को निवेश के लक्ष्य के अनुकूल स्तर पर लाना चाहिए। निवेश की सुविधा से इस संदर्भ में बढ़ा आकर्षण साबित हुआ है। निर्यात प्रयास को तेज करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वैश्विक पहुंच और विपणन क्षमताओं का कारगर ढंग से उपयोग किया जा सकता है। मूलभूत सुविधा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के उच्चतर प्रवाह को आकर्षित करने के लिए बिजली और परिवहन जैसी मुख्य बुनियादी सुविधागत सेवाओं में विनियामक और मूल्य निर्धारण सुधार में समन्वयन लाने पर जोर देना चाहिए।

वित्तीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दे

7.53 वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की प्रतिक्रिया के अनुसार मौद्रिक नीतिगत ढांचे में परिवर्तन आता है। रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र की विनियोजनात्मक कार्यक्षमता बढ़ाने और मूल्य स्थिरता तथा वित्तीय स्थिरता का परिरक्षण करने के लिए प्रयास कर रहा है। यद्यपि, मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के लिए सामान्यतः पूरक और सुदृढ़ नीतियों की आवश्यकता होती है, फिर भी, इन दो उद्देश्यों में अक्सर एक दूसरे के साथ टकराव की स्थिति होती है। जहां अंतर्राष्ट्रीय रूप में मुद्रास्फीति और वृद्धि के संदर्भ में अर्थव्यवस्थाएं स्थिर हुई हैं, वहीं वित्तीय चक्र अधिक सुदृढ़ हुआ है। रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणाली को अधिक लचीली बनाने के लिए ब्याज दरों के प्रयोग के अलावा नीतियों के कार्यान्वयन से वित्तीय स्थिरता की सहायता कर रहा है। रिज़र्व बैंक अपनी निगरानी प्रणाली से संभाव्य समस्याओं का केवल सामना ही नहीं कर रहा है, परंतु समष्टि स्तर पर जोखिमों पर निरंतर रूप से निगरानी रख रहा है।

7.54 उधारदाताओं में अंतिम आधार के रूप में केन्द्रीय बैंक की भूमिका में हाल के देशी और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ने कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डाला है। पहले, जहां चलनिधि समर्थन प्रदान करने में केन्द्रीय बैंक की कार्रवाई से वित्तीय प्रणाली में विश्वास बढ़ता है, वहीं वास्तविक कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय बैंक को शोध क्षमता और चलनिधिगत समस्याओं के बीच भेद करना पड़ता है। इसके लिए व्यापक सूचना की नियमित उपलब्धता पूर्व-अपेक्षा है। दूसरे, बैंक स्वामित्व के क्रमिक विशाखीकरण के साथ अविनियमित वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थाओं के आर-पार आघात अधिक तेजी से संचारित होते हैं, विशेषतः यदि उन्हें प्रभुसत्ताक स्वामित्व प्राप्त न हो, तो जहां संक्रामक आघात का प्रतिकूल परिणाम मजबूत संस्थाओं पर भी पड़ता है वहीं कमजोर और अधिक दुर्बल संस्थाएं तो आघातों के प्रति अति-संवेदनशील हो जाती हैं। अतः यह अत्यावश्यक है कि बैंक अपनी आंतरिक शक्तियों में वृद्धि करें। तीसरे, जैसे-ही वित्तीय प्रणाली मुक्त हो जाती है वैसे-ही केन्द्रीय बैंक के लिए यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि वह वित्तीय प्रणाली में किसी संभाव्य कमजोरी से उभरे समष्टि जोखिम पर निगरानी रखने में अधिक सक्रिय हो जाए। प्रणाली-तंत्र द्वारा समय पर चेतावनी संकेत दिये जाने से तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है और इससे संकट की स्थिति को रोकने में सहायता मिलती है। हाल के अनुभवों ने भी प्रौद्योगिकीगत जोखिम को चलनिधि जोखिम में

रूपांतरित करने की संभावना व्यक्त की है। इससे ऐसे बैंकों में यथोचित चलनिधि प्रबंध प्रणालियों का महत्त्व रेखांकित होता है जो प्रौद्योगिकीगत नवोन्मेष के जरिए ग्राहकों को अधिकाधिक सेवाएं प्रदान करते हैं।

7.55 हाल की अवधि में, जैसा कि कतिपय महत्त्वपूर्ण मानदंडों के कार्यनिष्पादन से संकेत मिलता है, बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बैंकों ने लाभप्रदता में सुधार, निवल गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात में कमी और पूंजी-पर्याप्तता अनुपात में सुधार दर्शाया है। बैंकों के तुलनपत्र अच्छे दिख रहे हैं और वित्तीय प्रणाली में वार्तातय लेनदेन प्रणाली, भारतीय ऋण निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) और ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए स्क्रीन आधारित विपणन प्रणाली के साथ संस्थागत मूलभूत सुविधा में वृद्धि हुई है जिससे बैंक अपने जोखिमों का प्रबंध अधिक प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों को तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) लागू हो जाने से और बढ़ावा मिलेगा।

7.56 रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसिल समिति द्वारा बनाये गये 'प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के मुख्य सिद्धांत' का कार्यान्वयन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इन सिद्धांतों का पूरा-पूरा अनुपालन करने के लिए समेकित पर्यवेक्षण की प्रणाली की ओर बढ़ने, बाह्य लेखा परीक्षकों की भूमिका को बढ़ाने, कंपनी संचालन को मजबूत करने और बैंकों के तुलनपत्र में पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण बढ़ाने के लिए चरणबद्ध रूप में उपाय किये गये हैं। इस प्रक्रिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकाधिक अविनियमित वित्तीय प्रणाली में वित्तीय प्रणाली पर निगरानी रखने से अधिक सुविधा होगी।

7.57 जहां समग्र नीतिगत परिवेश से वित्तीय सुदृढ़ता को उल्लेखनीय प्रोत्साहन मिला है और मुख्यतः 'गिल्ट' में भारी निवेश के कारण बैंकों ने अधिक लाभप्रदता दर्ज की है, वहीं इससे उन्हें आत्मतुष्टि की स्थिति में बहकना नहीं चाहिए। बैंकों के लिए संभाव्य ब्याज दर जोखिमों को मान्य करना और निवेश भंडार में घट-बढ़ सहित प्रारक्षित भंडार के लिए अधिक प्रावधान करना और ऐसे भंडार का निर्माण करना आवश्यक है। विश्व भर में उत्कृष्ट प्रबंधन करनेवाले बैंकों के लाभों में जब उछाल आता है, तब प्रारक्षित भंडार का निर्माण करने में सक्रिय होते हैं। समस्यामूलक आस्तियों को समय पर बट्टे खाते डालना और उसके लिए प्रावधान करना यह कई बैंकों के परिचालन की विशेषता है।

7.58 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार रिज़र्व बैंक ने मार्च 2004 के अंत तक ऋण हानि के लिए 90 दिन का मानदंड अपनाने के लिए समय-सारणी की घोषणा की है। चूंकि बैंकों को इन नये मानदंडों के प्रति क्रमशः परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है अतः ऐसी अपेक्षा है कि उन्होंने प्रावधानीकरण का पर्याप्त स्तर प्राप्त कर लिया होगा। तथापि बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे 90 दिन का मानदंड अपनाये जाने के परिणामस्वरूप गैर-निष्पादक आस्तियों की गणना में आनेवाले किसी उछाल के प्रति सजग रहें।

7.59 विनिमय दर और ब्याज दर गतिविधियों में हाल की प्रवृत्तियों से भारतीय बैंकों से विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए कंपनियों द्वारा की जानेवाली मांग में वृद्धि हुई है। कंपनियों को बाजार में अपने विदेशी मुद्रा जोखिम का बचाव करने के लिए वर्षों से काफी लचीलापन दिया जा रहा है। तथापि, बाजार की जानकारी के आधार पर कंपनी की विदेशी मुद्रा प्रतिबद्धताओं के काफी अंश असुरक्षित बना रहा और इससे अप्रत्याशित गतिविधियों के मामले में उनका समग्र वित्तीय स्थिति पर असर होने की संभावना रह सकती है। तदनुसार बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे विदेशी मुद्रा में 'हेजिंग न की गयी' राशि उधार देते समय सावधानी बरतें क्योंकि यदि विनिमय दर में प्रतिकूल प्रवृत्ति आ जाती है तो विनिमय जोखिम आसानी से ऋण जोखिम में परिवर्तित हो सकता है। बैंकों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे हेजिंग न की गयी ऐसी बाह्य देयताओं पर निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली अपनाएं।

7.60 जैसा कि दसवीं योजना में टिप्पणी की गई है, यद्यपि वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में बैंकिंग प्रणाली की दक्षता में सुधार करने पर जोर दिया गया है, वृद्धि के लिए निर्णायक रूप से महत्त्वपूर्ण गतिविधियों का वित्तपोषण महत्त्वपूर्ण है। रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के जरिए ऋण सुपुर्दगी व्यवस्था में सुधार किया जाए। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र को दिये जानेवाले बैंक ऋण के प्रवाह में सुधार करना है। इसके लिए प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करना, सुपुर्दगी के लिए संस्थागत व्यवस्था को उन्नत बनाना तथा एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना आवश्यक है जहाँ छोटे और सीमांत किसान कम होती ब्याज दर व्यवस्था के पूर्ण लाभों से फायदा उठा सकें। इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा हाल में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण दरों की उच्चतम दर को 9.0 प्रतिशत तक कम कर देने से कृषि क्षेत्र को बैंक ऋण दिये जाने में सुधार होगा। ग्रामीण ऋण की सुपुर्दगी में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ऋण सुपुर्दगी को सुधारने के लिए सहकारी बैंकिंग को प्रकटीकरण और संचालन के बढ़े हुए मानदण्डों के माध्यम से वित्तीय विनियमन के बदलते परिप्रेक्ष्य में जागरूक बनाया जा रहा है।

7.61 भारतीय वित्तीय प्रणाली के क्रमिक उदारीकरण और बाजारों के बढ़ते हुए एकीकरण के साथ ही बैंक के परिचालनों से संबद्ध जोखिम अधिकाधिक जटिल हो गया है तथा इसके लिए नीतिगत प्रबंधन अपेक्षित है। आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों के भावों के अनुरूप बैंकों को कारोबार के आकार

और जटिलता, जोखिम संभावना, बाजार बोध और पूँजी के स्तर को देखते हुए अपनी जोखिम प्रबंध संरचना का डिज़ाइन तैयार करने की आवश्यकता है। बैंकों को ऋण और बाजार जोखिम के संचालन के लिए जोखिम प्रबंध प्रणाली में और सुधार करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। बाजार जोखिम के प्रबंध और हेजिंग के लिए भारतीय वित्तीय बाजार में व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्ज) को शुरू किया गया है। व्युत्पन्नी उत्पादों की सूची का हाल ही में विस्तार किया गया है। ऋण जोखिम के प्रबंध और हेजिंग के लिए ऋण व्युत्पन्नी संबंधी दिशानिर्देश बैंकों के परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं। प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के मुख्य (कोर) सिद्धान्तों के अनुसरण में किसी देश में किसी बैंक के ऋण जोखिम की पहचान/निगरानी/नियंत्रण के लिए बैंकों में नीतियों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देश पहले से ही विद्यमान हैं। वर्तमान प्रकटीकरण अपेक्षाओं के युक्तिकरण तथा बाजार अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से इन लिखतों को प्रभावी बनाने के मद्देनजर वित्तीय बाजार की गतिविधियां बैंकों द्वारा प्रकटीकरण के क्षेत्र और सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर देती हैं।

7.62 हाल में कम्पनी लेखांकन में बार-बार पायी गयी अनियमितताओं की घटनाओं सहित नब्बे के दशक से होनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय संकट की पुनरावृत्ति ने वित्तीय उदारीकरण, पर्यवेक्षण और कंपनी संचालन के बीच विविध संबंधों को उत्तरोत्तर रूप में उजागर किया है। वित्तीय दुर्बलता को सभी जोखिम उठानेवालों अर्थात प्रबंध-तंत्र, जमाकर्ताओं, ऋणी और मालिकों के परस्पर सहयोगात्मक प्रयासों के जरिए ही रोका जा सकता है। विभिन्न जोखिम उठानेवालों के अधिकारों और जबाबदेही के विशेष रूप से निर्धारण तथा निर्णय लेने और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के संदर्भ में कम्पनी संचालन महत्त्वपूर्ण हो जाता है। कंपनी संचालन के चाहे जिस मॉडल का चुना जाए मुख्य मदें समय पर और विश्वसनीय सार्वजनिक प्रकटीकरण, लेखा-परीक्षा समितियों की स्वतंत्रता और उनके दायित्वों, आपराधिक जुर्माने को सख़्त करना तथा हितों के टकराव से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान करना है।

7.63 उभरते हुए वित्तीय परिवेश के अनुरूप भारत में सूक्ष्म (कार्यस्थल आधारित) पर्यवेक्षण के बजाय कार्यस्थल से दूर अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण तथा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए विवेकपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए दो स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त हुई है : वित्तीय उदारीकरण के संदर्भ में व्यवस्था में लचीलापन लाने की आवश्यकता तथा विनियामक और पर्यवेक्षी कार्यों की लागत को न्यूनतम करना। भारत सहित विभिन्न देशों के अनुभव से यह संकेत मिलता है कि जोखिम आधारित पर्यवेक्षी संरचना (शीर्ष प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई से युक्त), विस्तृत प्रकटीकरण मानक और विवेकपूर्ण कम्पनी संचालन की मिश्रित व्यवस्था पर्यवेक्षण की लागत को न्यूनतम कर सकती है।

7.64 हाल के वर्षों में, विकास वित्त संस्थाओं के परिचालन परिवेश में काफी परिवर्तन आया है। अग्रणी विकास वित्त संस्थाएं बैंक में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में हैं तथा इस संदर्भ में दीर्घावधि में बाजार निरंतरता में एक अंतराल उभर रहा है। विकास वित्त संस्थाओं ने, विशेषकर अस्सी के दशक के दौरान, भारत में औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभायी है। नब्बे के दशक के मध्य तक भारतीय कम्पनियों को वित्त उपलब्ध कराने के मामले में वे वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा के बजाय पूरक बने रहे। आशा है कि वाणिज्यिक बैंक अब भारतीय कंपनियों द्वारा झेली जा रही निधि की दीर्घावधि माँग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने में बृहतर भूमिका निभाएंगे। इस संदर्भ में विभिन्न देशों के अनुभव से महत्त्वपूर्ण सीख मिलती है तथा बैंक पहले से ही मुख्य रूप से बाजार-बाह्य विभिन्न स्तरीय उत्पादों के प्रवर्तन की प्रक्रिया में हैं जो कम्पनियों के जोखिम-प्रतिलाभ रूपरेखा के अनुकूल हैं। इस संबंध में बैंकों को संस्थागत, परिचालनात्मक और विनियामक मुद्दों का सामना करना होगा यथा (i) ऋणों, विशेषकर दीर्घावधि उधारों की वसूली के लिए, समयापेक्षी, खर्चीली और अपर्याप्त कानूनी व्यवस्था, (ii) नकदी ऋण आधारित व्यवस्था के अंतर्गत दीर्घतर अवधि के ऋणों के लिए नकदी प्रबंधन में कठिनाइयां, (iii) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की तुलना में कम्पनियों को निधि उपलब्ध कराने के लिए काफी उच्चतर पूँजी प्रभार, (iv) दीर्घावधि ऋण देने में बैंकों के पास पिछले अनुभव का न होना तथा मीयादी ऋण देने संबंधी उनकी पिछली सूचना के आधार का न होना, (v) बैंक की कुल आस्तियों के बजाय बैंक ऋण से संबद्ध प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दायित्व के लिए विनियामक अपेक्षाएं, (vi) कम्पनियों को दीर्घावधि ऋण की तुलना में कम्पनी प्रतिभूतियों में दीर्घावधि निवेश की अपेक्षाकृत उच्चतर चलनिधि तथा बाजार जोखिम की तुलना में ऋण जोखिम के प्रति बृहतर चिंता। इसके बावजूद, भारत में बैंक कम्पनियों के दीर्घावधि वित्तपोषण का प्रावधान करने में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए तैयार हैं जिसमें बहु-एजेंसियों से काम कराने का दृष्टिकोण भी सम्मिलित है।

7.65 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पंजीकरण की प्रक्रिया लगभग समाप्त होने के साथ ही यह क्षेत्र समेकन की ओर अग्रसर हो रहा है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की अनियंत्रित वृद्धि रोक दी गयी है तथा कमजोर इकाइयों (कंपनियों) को बाहर कर दिया गया है। आशा है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र सुदृढ़ और पूर्णरूपेण विकसित होगा तथा उच्चतर वृद्धि के वित्तपोषण में सहभागी होगा। इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि उनकी समग्रनिष्ठा और वित्तीय सुदृढ़ता को संरक्षण दिया जाए ताकि भारत में वे अर्थक्षम वित्तीय मध्यस्थ निकाय के रूप में उभर सकें। इस लक्ष्य के लिए रिज़र्व बैंक चार सूत्री व्यवस्था के आधार पर अपनी पर्यवेक्षी रूपरेखा को परिशोधित कर रहा है जिसमें कैमेल्स रेटिंग व्यवस्था पर आधारित कार्य-स्थल पर निरीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियों के प्रभावी संवीक्षण और निगरानी (कॉस्मॉस) के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी, बाजार आसूचना और सांविधिक लेखा परीक्षकों से आपत्तिजनक रिपोर्टें सम्मिलित हैं।

7.66 भारतीय वित्त व्यवस्था में कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का क्रमिक प्रसार हो रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को नवीन सुविधाएं (उत्पाद) प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक की इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण योजना के साथ-साथ अपनी इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सुविधाओं को क्रमिक रूप से एकीकरण कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक कोर बैंकिंग उपायों की ओर रुख कर रहे हैं। इसप्रकार जनता के अधिकाधिक वर्ग के लिए 'कहीं भी' बैंकिंग की राह खुल रही है। बैंकों द्वारा संरचित वित्तीय संदेश समाधान (एसएफएमएस) का उपयोग सुरक्षित मोड़ में अंतर-बैंक वित्तीय संचार (सूचना लेनदेन) की गति तीव्र करने में सहायक होगी तथा इसके फलस्वरूप विभिन्न शाखाओं में तथा विभिन्न बैंकों के बीच भी निधियों के और वित्तीय सूचना के शीघ्र प्रवाह में सहायता मिलेगी। भारत में भुगतान प्रणाली विशेषकर बड़े मूल्य के भुगतान की प्रणाली के एकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की प्रक्रिया में है। इस समय विदेशी मुद्रा लेनदेन का घरेलू स्थानीय स्तर पर समाशोधन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप लेन देन के लागतों में काफी बचत हुई है। ऋण और इक्विटी बाजार सहित खुदरा भुगतान को भी तीव्रतर और अधिक दक्ष बनाया जा रहा है। तत्काल सकल निपटान प्रणाली की शुरुआत का भुगतान और निपटान प्रणाली की दक्षता और गति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मौद्रिक नीति संबंधी मुद्दे

7.67 1997 से अल्प मुद्रास्फीति परिवेश के बने रहने के साथ-साथ भारत में मौद्रिक नीति निर्धारण की प्रमुख चिंता निवेश माँग के बढ़ने की रही है। तदनुसार, मौद्रिक नीति प्रतिपादन की विशेषताएं हैं - पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करना तथा कम और लचीली ब्याज दर को वरीयता देना। मौद्रिक नीति संबंधी इस दृष्टिकोण का पता बैंक दर, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) दर और नकदी प्रारक्षित अनुपात में कटौती से चलता है। तथापि, कटौती की गति और मात्रा, विशेषकर बड़ी मात्रा में बाह्य पूँजी के निरंतर आगमों के संदर्भ में, व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर निर्भर करती है। आर्थिक कार्यकलापों पर मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण का पूर्ण प्रभाव वित्तीय प्रणाली में संरचनात्मक अनम्यता, विशेषकर ब्याज दर संरचना की अधोगामी अपरिवर्तनीयता तथा वित्तीय मध्यस्थता की परिचालन लागत के कारण बाधित होती है। मौद्रिक नीति का संचालन वित्तीय बाजार में अधिशेष चलनिधि के साथ-साथ वास्तविक क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के वित्तपोषण के संदर्भ में ऋण की अपर्याप्त माँग की दुविधा से ग्रस्त है। घटती हुई आय और बढ़ते हुए मूल्यों के कारण बैंकों ने मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निष्क्रिय रूप से निवेश के जरिए अपनी लाभप्रदता में सुधार कर लिया है और इस प्रकार वे कारोबार में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस संदर्भ में बैंकों के कर-पश्चात लाभ में सुधार यद्यपि स्वागत योग्य है, परंतु मध्यावधि में यह सुविधाजनक स्थिति की अधिक संभावना प्रदान नहीं करता है।

7.68 चलनिधि के दैनिक प्रबंधन और ऋण की समान सुपुर्दगी दोनों के लिए परिचालन प्रक्रियाओं में और सुधार करना होगा। यह नीतिगत दरों और बाजार आधारित दरों में कम होते परिचालन अंतर (स्प्रेड) को देखते हुए कम ब्याज दर के दृष्टिकोण और वित्तीय बाजार में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने की आवश्यकता के संदर्भ में आवश्यक हो जाता है। वित्तीय बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के क्रमिक एकीकरण के साथ मध्यावधि में यह संभव हो सकेगा कि कम ब्याज दर के दायरे के जरिए बाजार की स्थितियों के प्रबंधन के लिए मौद्रिक नीति परिचालनों को और उपयुक्त बनाया जाए। चूँकि पूँजी प्रवाह सुदृढ़ रहने की संभावना है, इसलिए भविष्य में प्रमुख मुद्दा प्रत्याशित अत्यधिक पूँजी प्रवाहों के प्रबंधन के लिए उपलब्ध लिखतों के उपयोग में बृहतर नवोन्मेष होगा। इस संबंध में यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि उत्पादक क्षमता के विस्तार के लिए पूँजी प्रवाहों को खपाने के प्रयोजन से अधिक स्थायी नीतियां निर्धारित होने तक वर्तमान चलनिधि प्रबंध के पहले चरण की अनुक्रिया निष्प्रभावीकरण है। इसके साथ ही निष्प्रभावीकरण की अपनी अंतर्निहित लागत और सीमाएं हैं। विभिन्न देशों के वित्त बाजारों के एकीकरण के फलस्वरूप मौद्रिक नीति का बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीयकरण भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभरकर आता है। इस संबंध में नीतिगत नियमों के उपयोग में विवेक का इस्तेमाल घरेलू मौद्रिक नीति के संचालन में चुनौतीपूर्ण हो जाता है। व्यापक आर्थिक नीति का प्रभावी समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति के नियमों और जवाबदेहियों में बेहतर स्पष्टता होनी चाहिए।

7.69 राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन विधान राजकोषीय और मौद्रिक नीति के उपयुक्त 'समनुदेशन' के लिए एक खाका उपलब्ध कराता है। यह विधेयक रिज़र्व बैंक को 2006-07 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों के अभिदान से प्रतिबंधित करता है। तथापि, रिज़र्व बैंक मूल्य स्थिति के अनुरूप उभरती हुई चलनिधि और मौद्रिक स्थिति के आधार पर द्वितीयक बाजार में सरकारी पत्रों की खरीद और बिक्री करना जारी रखेगा। यह कम और स्थिर मुद्रास्फीति के परिवेश में वृद्धि हासिल करने के प्रयास को सुदृढ़ बनाएगा। अप्रत्याशित या विशेष परिस्थितियों की संभावना को स्वीकार करते हुए जो वित्तीय स्थिरता को बाधित कर सकती है, इस विधेयक में इन व्यवस्थाओं में कुछ नमनीयता का प्रावधान किया गया है। सुपरिभाषित अपवादात्मक परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान करने के लिए यदि अनिवार्य समझा जाए तो रिज़र्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से प्राथमिक निर्गमों का अभिदान कर सकेगा।

7.70 बाहरी और घरेलू अनिश्चितताओं की अवधि के दौरान प्रबंध के अनुभव से हाल के वर्षों में मौद्रिक नीति के संचालन के लिए मूल्यवान सीखें उभरकर सामने आयी हैं-बाजार गतिविधियों पर निरंतर निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण की महत्ता जो अप्रत्याशित आघातों और बाजार अनिश्चितताओं का सामना कर सके। इस संदर्भ में भारत की विदेशी मुद्रा विनिमय दर नीति परीक्षण में खरी उतरी है। इसने बिना किसी नियत दर के लक्ष्य अथवा पूर्व-घोषित लक्ष्य अथवा बाण्ड (दायरा) के अस्थिरता के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है तथा अंतर्वर्ती माँग और आपूर्ति की स्थितियों से समयावधि में व्यवस्थित रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव को निर्धारित किया है। रिज़र्व बैंक देश और विदेश में वित्तीय बाजारों की गतिविधियों पर अत्यधिक निगरानी के जरिए चौकसी, सतर्कता और नमनीयता का अनुसरण करता रहेगा। जैसा कि समय-समय पर आवश्यक समझा जाए, उपयुक्त मौद्रिक, विनियामक और अन्य उपायों से वह अपने बाजार परिचालनों का सावधानीपूर्वक समन्वयन करेगा।

निष्कर्षात्मक टिप्पणी

7.71 संक्षेप में, भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यापक आर्थिक बुनियादी आधार मज़बूत है तथा पिछले दशक के समय-समय पर आनेवाले संकटों के कारण इसमें स्पष्ट लोच आ गयी है। समग्र नीतिगत परिवेश ने व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखी है तथा इसके फलस्वरूप मध्यावधि में श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न हुई है। वित्तीय क्षेत्र के संबंध में अधिकाधिक जवाबदेहिता, प्रबंध संव्यवहारों और कम्पनी संचालन में सुधार तथा संरचनात्मक परिवर्तन के दबाव के प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। विनियामक और पर्यवेक्षी कार्यों का सुधार करने तथा उन्हें देश-विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप बनाने में काफी प्रगति हुई है।

7.72 व्यापक आर्थिक क्षेत्र संबंधी निरंतर निगरानी की मुख्य चुनौती उच्च राजकोषीय घाटे को कम करना है, जबकि व्यय नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए । केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर बुनियादी सुविधाओं और अन्य सेवाओं के लिए उपयुक्त प्रभार लगाने और वसूल करने की समेकित कार्यवाही के साथ-साथ कर/सदेउ अनुपात को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ती हुई अपबचत की प्रवृत्ति को सुधारने और बचत की आदत डालने के लिए ये कार्रवाइयां अनिवार्य हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सकारात्मक बचत अनिवार्य है ताकि आवश्यक भौतिक और सामाजिक क्षेत्र के निवेशों का वित्तपोषण किया जा सके, जिससे त्वरित वृद्धि को अपने ही साधनों से जारी रखने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि होगी।